प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)
वाद सं० : 532 सन 2021
अनवान :–

1. सन्तलाल पुत्र नत्थुराम जाति नायक निवासी रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमार अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :– 06.10.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा कानसर रातुसर के खाता संख्या 111/107 की कुल 3.3900हैक्ट भूमि में 1/18 हिस्सा, खाता संख्या 112/106 की कुल 3.5420हैक्ट में से 1/6 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज है
उक्त भूमि मे वादी का नाम सुल्तान पुत्र नत्थुराम दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम सन्तलाल पुत्र नत्थुराम है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम सन्तलाल पुत्र नत्थुराम है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का नाम रामकुमार पुत्र नत्थुराम दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सुलतान पुत्र नत्थुराम दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नही है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

अतः वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर सुलतान पुत्र नत्थुराम के स्थान पर सन्तलाल पुत्र नत्थुराम संशोधन करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान केम्प कोर्ट में पेश होने पर वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मौजा कानसर रातुसर के खाता संख्या 111/107 की कुल 3.3900हैक्ट भूमि में 1/18 हिस्सा, खाता संख्या 112/106 की कुल 3.5420हैक्ट में से 1/6 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज है

उक्त भूमि मे वादी का नाम सुल्तान पुत्र नत्थुराम दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम सन्तलाल पुत्र नत्थुराम है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम सन्तलाल पुत्र नत्थुराम है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का नाम रामकुमार पुत्र नत्थुराम दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सुलतान पुत्र नत्थुराम दर्ज किया गया है जो गलत है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नही है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार की रोही मौजा कानसर रातुसर के खाता संख्या 111/107 की कुल 3.3900हैक भूमि में 1/18 हिस्सा, खाता संख्या 112/106 की कुल 3.5420हैक में से 1/6 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज है जिसमं वादी का नाम सुलतान पुत्र नत्थुराम दर्ज है सन्तलाल के स्थान पर सुलातन दर्ज किया गया है सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, दस्तावेजात सभी में वादी का नाम सन्तलाल पुत्र नत्थुराम दर्ज है। सरपंच ग्राम पंचायत के द्वारा भी वादी के नाम के सम्बध में तस्दीक पेश की गई है वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात /सरपंच तस्दीक से वादी का नाम सन्तलाल होना प्रतित होता है

वादी के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादी के नामों में भिन्नता है तहसीलदार राजस्व नोहर के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है साथ ही यदि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नही होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात , शपथ पत्र/पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज पेश होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं सरपंच ग्रम पंचायत के प्रमाण पत्र के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर रातुसर के खाता संख्या 111/107 की कुल 3.3900हैक भूमि में 1/18 हिस्सा, खाता संख्या 112/106 की कुल 3.5420हैक में से 1/6 हिस्सा में वादी का नाम सुलतान पुत्र नत्थुराम अंकित है के स्थान पर सन्तलाल उर्फ सुलतान पुत्र नत्थुराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2021 को प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
केम्प कोर्ट.....श्योरानी.

Scanned with CamScanner

प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष – 2021
पर्चा डिक्री
(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. सन्तलाल पुत्र नत्थुराम जाति नायक निवासी रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 532 सन 2021 निर्णय दिनांक–06.10.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष – 2021 मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष उभयपक्षो की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर रातुसर के खाता संख्या 111/107 की कुल 3.3900हैक भूमि में 1/18 हिस्सा, खाता संख्या 112/106 की कुल 3.5420हैक में से 1/6 हिस्सा में वादी का नाम सुलतान पुत्र नत्थुराम अंकित है के स्थान पर सन्तलाल उर्फ सुलतान पुत्र नत्थुराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेग

पर्चा डिक्री आज दिनांक 06.10.2021 को प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष – 2021मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)
नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
केम्प कोर्ट.....श्योरानी.

Scanned with CamScanner